



4160
संख्या- / जी०एस० / शिक्षा / A11-102(2) / 2016

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

06 जनवरी 2017

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून : दिनांक : दिसम्बर, 2016

आपके पत्र संख्या 3244 / SDSUV / Affi-2015-16 दिनांक 02.03.2016 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या 3 (8) 2016 की संस्तुति व पत्र संख्या 55/XXIV(3)/2016-3(48)/2016 दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-6 की धारा-33 (1) के अधीन निम्न संस्थान को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	रूड़की बिजनेस स्कूल, ग्राम-प्रहलादपुर, ब्लॉक-खानपुर, जिला हरिद्वार	1-बी०एससी० (कृषि) 2-बी०ए० (कला)	40 सीट 30 सीट	सत्र 2015-16, 2016-17 एवं सत्र 2017-18 हेतु

- विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र हेतु संस्थान का नियमानुसार निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा भौतिक निरीक्षण में पाई गई कमियों का पूर्णरूप से निराकरण कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- सत्र प्रारम्भ से पूर्व संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधायें, शैक्षिक-शिक्षणेत्तर फ़ैकल्टी की शैक्षिक अर्हता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फ़ैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फ़ैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फ़ैकल्टी को मासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय / शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति / प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक / सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

\$

